DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATIONS

Delhi, the 11th May, 1994

No. F. 13/8/94-Judl. II/857.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Delhi Commission for Women Act, 1994, the Lt. Governor of Delhi is pleased to order that the said Act shall come into force in the National Capital Territory of Delhi w.e.f. 5-5-1994.

सं. फा. 13/8/94-न्याय/II/856.—उपराज्यपाल दिल्ली की दिनांक 5 मई, 1994 को मिली अनुमति के पश्चात् विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जन-साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है:—

दिल्ली महिला आयोग अधिनियम, 1994

(दिल्ली अधिनियम संख्या 8, 1994)

(5-5-1994)

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा यथा पारित) अधिनियम

दिल्ली महिला आयोग गठन करने तथा इससे सम्बद्ध मामलों एवं प्रासंगिक बातों को व्यवस्थित करने का अधिनियम।

भारत गणराज्य के पैंतालिसवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:—

1. यह अधिनियम, दिल्ली महिला आयोग अधिनियम, 1994 कहा जाएगा।

2. इसका विस्तार सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली में होगा।

3. यह राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र अधिसूचना प्रकाशन-तिथि से लागू होगा।

परिभाषाएं

2. जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक इस अधिनियम में:—

(क) 'राजधानी' का अर्थ 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' है।

(ख) 'आयोग' का अर्थ धारा 3 के अन्तर्गत गठित 'दिल्ली महिला आयोग' है।

(ग) 'सरकार' का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली की सरकार है।

(घ) 'सदस्य' आयोग का अर्थ आयोग का सदस्य है तथा इसमें सदस्य-सचिव भी सम्मिलित है।

1990 का केन्द्रीय अधिनियम 20

(च) 'राष्ट्रीय आयोग' का अर्थ राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के अन्तर्गत गठित राष्ट्रीय महिला आयोग है।

(छ) 'निर्धारित' का अर्थ इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित नियमों से है।

अध्याय—2

दिल्ली महिला आयोग

3. दिल्ली महिला आयोग का गठन—(1) सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करने तथा दिए गए कार्यों का निष्पादन करने के लिए (दिल्ली महिला आयोग) के नाम से एक निकाय का गठन करेगी।

(2) इस आयोग में—

(क) महिलाओं के कार्य के लिए समर्पित एक अध्यक्ष सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।

(ख) महिला-कल्याण प्रशासन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य शिक्षा या समाज कल्याण में कम से कम दस वर्ष का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से पांच सदस्य सरकार नामित करेगी। बशर्ते कि कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जन जाति के व्यक्तियों में से होगा।

(ग) सरकार द्वारा एक सदस्य—सचिव नामित किया जायेगा जोकि

1. प्रबन्धक, संगठनात्मक संरचना तथा समाज शास्त्री आन्दोलन के क्षेत्र का विशेषज्ञ हो या

2. सार्वजनिक सेवाओं या अखिल भारतीय सेवाओं का एक सदस्य या उपयुक्त अनुभव रखने वाला सार्वजनिक प पर कार्य करने वाला एक अधिकारी हो।

4. अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यालय की अवधि तथ सेवाओं की शर्तें— (1) अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य की कार्य अवधि इस संबंध में सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट होगी कि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

2. अध्यक्ष या कोई सदस्य 'सदस्य-सचिव के अतिरि जो संघ की सार्वजनिक सेवाओं या अखिल भारतीय सार्वजनि सेवाओं का एक सदस्य या संघ में सार्वजनिक पद पर सरकार को सम्बोधित लिखित में अध्यक्ष या जैसा मामला हो के कार्य से किसी भी समय त्याग पत्र दे सक है।

3. उप-धारा (2) में उल्लेखित सरकार किसी भी व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के कार्य से निम्नलिखित स्थितियों में हटा सकती है—यदि वह व्यक्ति :

(क) दिवालिया हो जाये ।

(ख) ऐसे अपराध जो सरकारी दृष्टि में एक नैतिक भ्रष्टता मानी जाती है, के लिए दोषी पाया जाए या सजा पाता हो ।

(ग) मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाये तथा इसकी घोषणा अधिकृत न्यायालय से की जाये ।

(घ) कार्य करने के लिए मना कर दे या कार्य करने के अयोग्य हो जाये ।

(ङ) आयोग की लगातार तीन बैठकों में आयोग से अनुपस्थिति का अवकाश लिये बिना अनुपस्थित रहे या,

(च) सरकार की राय में अध्यक्ष या सदस्य ने पद का दुरुपयोग किया है तथा उस व्यक्ति के कार्य पर बने रहने से सार्वजनिक सेवा का अहित हो ।

बशर्ते कि इस उप-धारा के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को नहीं हटाया जा सकता है, जब तक कि उसे इस मामले में सुनवाई का उपयुक्त अवसर न मिला हो ।

4. उप-धारा (2) के अन्तर्गत अन्यथा रिक्त हुए स्थान को नए नामांकन से भरा जायेगा ।

5. अध्यक्ष तथा सदस्यों का देय वेतन तथा भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें यथा निबंधन तथा निर्धारित होगी ।

5. आयोग के अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी । (1) इस अधिनियम के अन्तर्गत सरकार द्वारा आयोग के कार्यों के प्रभावी कार्य निष्पादन के लिये जैसे आवश्यक होगा वैसे अधिकारी और कर्मचारी लगायें जायेंगे ।

(2) इस आयोग के लिये नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों का देय वेतन तथा भत्तें तथा सेवा की अन्य शर्तें तथा निबंधन यथा निर्धारित होगी ।

6. अनुदान से देय वेतन तथा भत्ते । अध्यक्ष तथा सदस्य तथा अधिकारियों और कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि प्रशासनिक व्यय धारा 5 के उल्लेखानुसार दिये जायेंगे जो कि धारा 11 की उपधारा (1) के अनुदान से देय होंगे ।

7. रिक्तियां आदि आयोग के कार्यवृत्त को अमान्य न करेगी । मात्र कोई स्थान रिक्त होने या आयोग के गठन में कोई कमी रहने की स्थिति में आयोग के कार्य या कार्यवाही पर प्रश्न नहीं उठेगा तथा अमान्य न माना जायेगा ।

8. आयोग की समितियां । समय-समय पर आयोग आने वाले विशेष मामलों के निपटान के लिये जितना आवश्यक समझे उतनी समितियां नियुक्त कर सकेगा ।

(2) आयोग यदि ठीक समझे तो उपधारा (1) के अन्तर्गत नियुक्त किसी भी समिति में ऐसे व्यक्तियों को सहयोजित कर सकेगा जो आयोग के सदस्य नहीं हैं । इस प्रकार सहयोजित व्यक्तियों को समिति की बैठकों में भाग लेने तथा कार्यवृत्त में भाग लेने का पूरा अधिकार होगा, परन्तु इनको मत देने का अधिकार न होगा ।

(3) इस प्रकार सहयोजित किये गये व्यक्ति आयोग की बैठकों में भाग लेने के लिये निर्धारित किये गये भत्तों को प्राप्त करने के अधिकारी होंगे ।

9. आयोग द्वारा विनियमत प्रक्रिया । (1) आयोग या समिति की बैठक जब भी आवश्यक होगा, ऐसे समय और स्थान पर होगी, जिसे अध्यक्ष ठीक समझेगा ।

(2) आयोग अपने लिये अपनी प्रक्रिया तथा समितियों के लिये उनकी प्रक्रिया या विनियन करेगा—

(3) आयोग के सभी आदेश तथा निर्णय सदस्य-सचिव या ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे इस संबंध में सदस्य-सचिव अधिकृत करेगा प्राधिकृत किये जायेंगे ।

अध्याय—3

10. आयोग के कार्य । (1) आयोग निम्नलिखित में से सभी या किसी भी कार्य का निष्पादन करेगा यथा ।

क. संविधान तथा अन्य कानूनों के अन्तर्गत महिलाओं के सुरक्षा-उपायों से संबंधित मामलों का अन्वेषण एवं परीक्षण करना ।

ख. सरकार को इस प्रकार के सुरक्षा-उपायों पर वार्षिक या ऐसे अन्य समयों पर, जिसे आयोग ठीक समझे, रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।

ग. राजधानी में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिये उन सुरक्षा-उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये रिपोर्ट में सिफारिशें करना ।

घ. महिलाओं को प्रभावित करने वाले संविधान के वर्तमान प्रावधानों तथा अन्य कानूनों का समय-समय पर पुर्ननिरीक्षण (पुनरावलोकन) करना तथा उनमें संशोधनों की सिफारिशें करना, ताकि इस प्रकार की विधियों में त्रुटियों, अनुपयुक्तता कमियों को दूर करने के लिये सुधारात्मक विधि के उपाय का सुझाव दिया जा सके ।

च. संविधान के प्रावधानों तथा महिलाओं से संबंधित अन्य कानूनों का उल्लंघन के मामलों को उपयुक्त अधिकारियों के सामने लाना ।

छ. शिकायतों को सुनना तथा स्वो उद्देश्य बताओ नोटिस देना या निम्नलिखित मामलों को देखना ।

1. महिलाओं को अधिकारों से वंचित करना।

2. महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिये बने कानूनों का कार्यान्वयन करना तथा समानता तथा विकास के उद्देश्य को भी पूरा न करना।

3. महिलाओं की कठिनाइयों को कम करने तथा कल्याण सुनिश्चित करने तथा सहायता प्रदान के उद्देश्य से संबंधित नीति-निर्णय, मार्ग दर्शक सिद्धान्त या अनुदेशों का अनुपालन न करना। तथा ऐसे मामलों से जुड़े प्रश्नों को उपयुक्त प्राधिकारियों के सामने लाना।

ज. महिलाओं के प्रति किये जा रहे विभेद और अत्यचारों के कारण उत्पन्न हो रही विशेष समस्याओं और स्थितियों का विशेष अध्ययन और अन्वेषण कराना तथा बाधाओं को जानकर उनको दूर करने के लिये योजना बनाना।

झ. सभी क्षेत्रों में महिलाओं को देय प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिये रास्ते सुझाने हेतु तथा उनकी प्रगति में बाधक तत्वों जैसे:—आवास तथा बुनियादी सेवाओं का अभाव उनकी उत्पादकता में रुकावट डालने वाले कठिन कार्य तथा स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कार्यों को कम करने के लिये अपर्याप्त सहयोगी सेवाओं तथा तकनीकियों को पहचान कर प्रोन्नत एवं शैक्षणिक अनुसंधान कराना।

ट. महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उन्नति की योजना प्रक्रिया में भाग लेना तथा सलाह देना।

ठ. राजधानी में महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।

(ड) एक कारागार, रिमाण्ड गृह तथा महिला संस्थान या अन्य किसी ऐसे स्थान जहां महिलाओं को कारागार या अन्य कारण से रखा जाता हो निरीक्षण या निरीक्षण के लिये प्रेरित करना, यदि आवश्यक समझा जाये तो संबंधित अधिकारियों के साथ सुधारात्मक कार्यवाही करना।

ढ. महिलाओं की एक बड़ी संख्या को प्रभावित करने वाले धन-विवाद संबंधी मामले।

त. महिलाओं से संबंधित किसी भी मामले या विशेष रूप से विभिन्न कठिनाइयां जिन्हें महिलायें झेलती हैं, के संबंध में सरकार को निर्धारित समयावधि में रिपोर्ट देना।

थ. सरकार द्वारा भेजा गया अन्य कोई भी मामला।

2. सरकार उप-धारा (1) के प्रखंड (ब) में उल्लेखित तथा जो राष्ट्रीय महिला आयोग से प्राप्त होंगी तथा जिसको राजधानी की विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना हो, उन सभी रिपोर्टों पर राजधानी से संबंधित सिफारिशों पर की गयी कार्यवाही या प्रस्तावित कार्यवाही के विवेचित ज्ञापन के साथ कार्यवाही करेगी।

यदि किसी सिफारिश को अस्वीकार किया गया हो तो उसका कारण बतायेगी—

3. खंड (क) या उपधारा (1) के खण्ड (P) के उप खण्ड (1) में उल्लेखित मामलों की जांच पड़ताल करते हुए आयोग के पास मुकदमा चलाते समय, विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों के संबंध में दीवानी अदालत की शक्तियां होंगी, अर्थात् :—

क. भारत के किसी भाग से किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति के लिये दबाव डालने या बुलाने तथा शपथ पर उसकी जांच करने के लिये।

ख. किसी कागजात को खोजने या प्रस्तुत करने की अपेक्षा होने पर।

ग. शपथ-पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने के लिये।

घ. किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी सरकारी रिकार्ड या उसकी प्रतिलिपि मांगने के लिये।

च. साक्ष्य तथा कागजात के परीक्षण के लिये बुलावा-आदेश जारी करते समय।

छ. अन्य कोई भी मामला जो निर्धारित किया जाये।

अध्याय—4

वित्त, लेखा एवं लेखा-परीक्षा

11. सरकार द्वारा अनुदान। (1) सरकार इस संबंध से राजधानी की विधान-सभा में आवश्यक विनियोजन के बाद सरकार जितना भी उपयुक्त समझे इस अधिनियम के उद्देश्य के लिये प्रयोग में ली जा रही धन-राशि अनुदान के रूप में आयोग को प्रदान करेगी।

(2) इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यों के निष्पादन के लिये जितना भी उपयुक्त समझे आयोग धन व्यय कर सकता है तथा उप-धारा (1) में उल्लेखित अनुदान से देय इस प्रकार की धन-राशि व्यय समझी जायेगी।

12. लेखा तथा लेखा परीक्षण। (1) सरकार द्वारा सरकार के वित्त विभाग के परामर्श से निर्दिष्ट प्रपत्र में आयोग उचित लेखा तथा संबंद्ध रिकार्ड रखेगा तथा लेखा का वार्षिक विवरण तैयार करेगा।

(2) आयोग का लेखा परीक्षण सरकार के लेखा परीक्षक के द्वारा विनिर्दिष्ट अन्तराल पर उसके द्वारा किया जायेगा।

(3) सरकार वित्त विभाग तथा उनके द्वारा इस अधिनियम के अधीन आयोग के लेखाओं की लेखा-परीक्षा के संबंध में नियुक्त किसी व्यक्ति को ऐसी लेखा परीक्षा के के संबंध में वही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो साधारणतया लेखा-परीक्षक को सरकारी लेखाओं की लेखा-परीक्षा के संबंध में होते हैं और विशेषतः बहियों, खातों सम्बन्धित वाउचरों तथा अन्य दस्तावेजों और

कागज पत्रों को पेश किये जाने की मांग करने और आयोग के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने तथा प्रतिभूतियों, नकदी तथा स्टोर की गणना व सत्यापन करने का अधिकार होगा।

(4) आयोग के लेखों को लेखा परीक्षक के सत्यापन तथा परीक्षण रिपोर्ट के साथ आयोग द्वारा वार्षिक रूप से सरकार को प्रस्तुत किया जायेगा।

13. वार्षिक रिपोर्ट—आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट इस संबंध में निर्धारित किये गये तरीके तथा समय पर बनायेगा तथा इसकी एक प्रति सरकार को भेजेगा। इसमें विगत वित्तीय वर्ष की गतिविधियों का पूर्ण विवरण दिया जायेगा।

(14) विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक तथा लेखा परीक्षण रिपोर्ट—सरकार वार्षिक रिपोर्ट तथा इसमें सरकार से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के ज्ञापन के साथ तथा यदि कोई सिफारिश स्वीकार नहीं की गयी है तो उसका कारण बताते हुए यह रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट जैसे ही प्राप्त होती है, राजधानी की विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

अध्याय–5

विविध

15. आयोग के अध्यक्ष, सदस्य तथा कर्मचारी सार्वजनिक कर्मचारी होंगे —आयोग का अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थ में सार्वजनिक कर्मचारी समझे जायेंगे।

16. सरकार आयोग का परामर्श लेगी—महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीति-संबंधी मामलों के लिये सरकार आयोग का परामर्श लेगी।

17. नियम बनाने की शक्तियां—(1) इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिये सरकार सरकारी-राजपत्र में अधिसूचना जारी कर नियमावली बनायेगी।

2. विशेष रूप से, शक्ति छोड़ने की सामान्यता से दुर्भावना किये बिना, यह नियमावली निम्नलिखित सभी मामलों या विशेष रूप से किसी एक मामले के संबंध में होगी अर्थात् :—

क. धारा (4) की उपधारा (5) के अन्तर्गत अध्यक्ष तथा सदस्यों तथा धारा 5 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिकारियों तथा कर्मचारियों को देय वेतन तथा भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें और निबंधन।

ख. धारा 8 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सहयोजित व्यक्तियों के लिये आयोग की बैठकों में भाग लेने के लिये भत्ते।

ग. धारा 10 की उपधारा (4) के खंड एफ के अन्तर्गत आने वाले अन्य मामले।

घ. धारा 12 की उपधारा (1) के अन्तर्गत लेखा का वार्षिक विवरण किस प्रकार का होगा।

च. धारा 13 के अन्तर्गत तैयार की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट का रूप और समय।

छ. कोई अन्य मामला जो अपेक्षित है या निर्धारित किया जाना है।

3. इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाया गया प्रत्येक नियम बनने के बाद राजधानी की विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा, जबकि इसका तीस दिन की कुल अवधि का सत्र चल रहा हो। जिसमें, एक सत्र या दो सत्र या आगे होने वाले अधिक सत्र सम्मिलित हों, तथा यदि सत्र की समाप्ति से पूर्व या तत्काल अगले सत्र या उक्त आगे होने वाले सत्रों में राजधानी की विधान सभा कोई भी संशोधन करती है या नियम न बनाने का निर्णय लेती है तो जैसा भी मामला हो नियमों में सुशोधन किये बिना नियम लागू नहीं होगा। परन्तु इस प्रकार का कोई संशोधन या निष्प्रभावन इस नियम में पहले की गयी किसी बात की उपयुक्तता के दुराग्रह के बिना हो।

यू. पी. सिंह, उप सचिव

F. No. 13/8/94-Judl. II/856.—The following Act of Legislative Assembly received the assent of the Lt. Governor of Delhi, on the 5th May, 1994 and is hereby published for general information :

THE DELHI COMMISSION FOR WOMEN ACT, 1994

(Delhi Act No. 8 of 1994)

(5-5-1994)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi).

AN
ACT

to constitute a Delhi Commission for Women and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Forty-Fifth Year of the Republic of India as follows :—

CHAPTER 1

PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.—(1) This Act may be called the Delhi Commission for Women Act, 1994.